भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2108

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त किए गए लक्ष्य

2108. श्री उज्जवल रमण सिंहः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रयागराज जिले में मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) की स्थिति क्या है;
(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उत्तर प्रदेश में, विशेषकर प्रयागराज जिले में इस मिशन के कार्यान्वयन में किसी कमी अथवा विलंब की सूचना मिली है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा (55 एलपीसीडी) में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया, जिसे अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जाना है।

पेयजल राज्य का विषय है, और इसलिए, जेजेएम के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, सूचित किए गए अनुसार, जेजेएम के तहत 12.55 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 28.01.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.79 करोड़ (81.57%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 को राज्य में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 5.16 लाख (1.93%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 2.38 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 28.01.2026 तक, राज्य के 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.43 करोड़ (91.04%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान उपलब्ध है।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयागराज जिले में मिशन के तहत प्रदान किए गए कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) की स्थिति जेजेएम-आईएमआईएस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है (लिंक नीचे दिया गया है):

https://ejalsliakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ग): पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में मिशन के अंतर्गत आवंटित, जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा भी उपर्युक्त लिंक पर उपलब्ध है।

(घ): उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रयागराज जिले सहित राज्य में जेजेएम के कार्य के संबंध में देरी के मुख्य कारण कोविड-19 महामारी, पाइपलाइन को बिछाने अथवा नाली/सड़क को काटने के लिए विभिन्न विभागों (जैसे रेलवे, एनएच, पीडब्ल्यूडी और एक्सप्रेसवे) से एनओसी प्राप्त करने में देरी, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी, समय पर सामग्री की अनुपलब्धता (जैसे डीआई पाइप आदि) हैं।

(ङ): उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जेजेएम की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए

तेजी से कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त चर्चा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यपूरिपूर्णता योजनाओं और वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) को अंतिम रूप देना, कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, प्रशिक्षण, ज्ञान का आदान-प्रदान, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र दौरे आदि शामिल हैं। जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका और जल जीवन मिशन की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान संबंधी दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं।

*****